

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं०सं०-सू०अ०को०(विविध)-०६/१६-.....536...../एम०, पटना, दिनांक-25.1.18

प्रेषक,

Email/Fax

सुशील कुमार,
अवर सचिव-सह-लो०सू०पदा०।

सेवा में,

सभी उप निदेशक,
सभी सहायक निदेशक,
सभी खनिज विकास पदाधिकारी,
सभी खान निरीक्षक।

विषय:- राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये निदेशों से अवगत कराने के संबंध में।

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 733 दिनांक-
15.01.18 की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है
कि राज्य सूचना आयोग द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन कृपया सुनिश्चित किया
जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

उदय
25/1/18

विश्वासभाजन
25/1/18
अवर सचिव
-सह-लो०सू०पदा०

पत्रांक-21/सू.अ.-25/2017,सा.प्र.733/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

भीम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 15-1-18

विषय:-

राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-9026 दिनांक-04.01.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के स्तर से वाद संख्या-ए1048/17 में दिनांक-12.12.2017 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1) में नागरिकों तक सूचनाओं की सुलभता, सहजता एवं सुगमता से सुनिश्चित करने के लिए सभी लोक प्राधिकारों को अपने अभिलेखों का सूचीकरण करते हुए उनका कम्प्यूटरीकरण कराना है तथा इण्टरनेट आदि के माध्यम से उसे सबके लिए सुलभ बनाना है तथा उक्त अधिनियम की धारा-4(1)(ख) में अंकित सत्रह बिन्दुओं पर हस्तक तैयार कर कार्रवाई सुनिश्चित करनी है।

इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण, विभाग) के पत्रांक-1/18/2007-आई.आर. दिनांक-21.09.2007, पत्रांक-10/20/2006-आई.आर. दिनांक-21.09.2007 एवं राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-1242 दिनांक-21.09.2007 तथा पत्रांक-1547 दिनांक-17.12.2007 के आलोक में विभागीय पत्रांक-12714 दिनांक-28.12.2007 द्वारा अधिनियम की उक्त धारा-4(1) एवं 4(2) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुदेश जारी कर आयोग को भी अवगत कराने का अनुरोध राज्य सरकार के सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों एवं सभी जिला पदाधिकारियों से किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-4 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई है तथा सभी लोक प्राधिकारों को वर्ष-2012 से लगातार निर्देशित किया गया है। इसके बावजूद अनुपालन प्रतिवेदन इस विभाग में सम्प्रति अप्राप्त है। यह स्थिति खेदजनक है।

अतः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1) का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय एवं धारा-4(1)(ख) में अंकित सत्रह बिन्दुओं पर पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर हस्तक तैयार कर उसकी एक प्रति इस विभाग को भी कृपया निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय। अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकारों से भी इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

March



राज्य सूचना आयोग

चौथा तल्ला, सूचना भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

दूरभाष-2215713, 2235059, 2200412, 2200426 फैक्स-2235466

49
297

वाद सं०-A1048/2017

श्री मनोज कुमार मिश्र

बनाम

प्रथम अपीलीय प्राधिकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

12.12.17

" आवेदक उपस्थित है।

2. श्री शिव महादेव प्रसाद, लोक सूचना पदाधिकारी-सह-अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना सुनवाई के समय उपस्थित हुए।

3. आवेदक का कहना है कि अभी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुरूप 17 बिन्दुओं पर हस्तक तैयार कर उसके संधारण एवं प्रकाशन के संबंध में कार्रवाई की जानी है, परन्तु यह कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने पंचायती राज विभाग से यह भी जानना चाहा था कि वे यह बतावें कि उनके विभाग के कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन हुआ है या नहीं। अभी तक पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सारी सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करायी हैं। पंचायती राज विभाग के अधिकारी ने यह बताया था कि अभी तक जिलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसकी सुनवाई के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को भी उपस्थित होने को कहा गया था क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग ही प्रशासी विभाग है। आज सुनवाई के समय सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अवर सचिव उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि यह सही बात है कि सामान्य प्रशासन विभाग की इसमें भूमिका है और जिम्मेवारी भी बनती है। उनके विभाग के द्वारा भी अधिनियम की धारा '4' के अनुपालन हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, परन्तु अभी तक इसका अक्षरशः अथवा सारवान अनुपालन नहीं हो पाया है। लोक सूचना पदाधिकारी को कड़ा गया कि वे अपने विभाग के प्रधान सचिव का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए अनुरोध करें कि वे सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं सभी विभागध्यक्षों को पत्र निर्गत करके अधिनियम की धारा '4' के अधीन जारी किये जाने वाले हस्तक को तैयार करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाते हुए उसका अनुपालन करने का आदेश दें। यह भी बताया जाए कि आयोग ने सुनवाई के समय ऐसा निर्देश दिया है। वाद की सुनवाई की अगली तिथि 17.01.2018 को अप० 02.30 बजे निर्धारित की जाती है। उस तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारीगण बतावेंगे कि कितने जिलों से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

4. राज्य मुख्यालय स्तर पर समय-समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया जाता है जिसमें जिला स्तर के पदाधिकारी भाग लेते हैं उस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला के सभी अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए।"

30-21
31.12
श्री सुनेन्द्र कुमार मिश्र
08.01.18

ह०/-

(वी० के० वगै॥)

राज्य सूचना आयुक्त

जापाक : 9026 / रा०सू०आ०

पटना, दिनांक- 5/1/18/2017

प्रतिलिपि:- श्री शिव महादेव प्रसाद, लोक सूचना पदाधिकारी-सह-अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/श्री मनोज कुमार मिश्र, पिता-स्व० सुरेन्द्र मोहन मिश्र, ग्राम-गोगरी, जिला-खगड़िया को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पा-21
018

(शैलेन्द्र कुमार मिश्र) डेप्टी
प्रशाखा पदाधिकारी